

29.5.20

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की, जब कि वकील अप्रार्थी ने जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया, तहसीलदार माण्डल परतार हल्का भावलास से प्राप्त मौका रिपोर्ट का एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया, जिससे यह जाहिर आया कि उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज रेकार्ड है, एवं प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में रेकार्ड स्वामिदार नहीं है, ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य होकर खारीज किया जाता है, पत्रावली फौसल शुमार होकर मन्वर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा